केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.
******

प्रथम अपील सं. CICOM/A/P/21/00039
CICOM/R/P/21/00048

अपीलकर्ता : श्री बिनोद कुमार तिवारी, एडवोकेट
मकान सं. 448, आशुतोष नगर
कृष्णानगर थाना, जिला - लखनऊ
उत्तर प्रदेश -226023.

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	08.01.2021
केन्द्रीय सूचना आयोग में आर.टी.आई. आवेदन प्राप्त होने की तिथि	15.01.2021
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	27.01.2021
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री राम कुमार
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	03.02.2021
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में अपील प्राप्त होने की तिथि	22.02.2021
निर्णय की तारीख	03.03.2021

मांगी गई सूचना

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 08.01.2021 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से बिंदु सं a, b एवं c के तहत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र के साथ फोटोयुक्त पहचान पत्र संलग्न करने की आवश्यकता से संबंधित सूचनाएं एवं बिंदु सं. d के तहत प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम, पदनाम व पता स्पष्ट करने की मांग की गई थी ।

प्रदान की गई सूचना

2. आयोग के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी श्री राम कुमार द्वारा पत्र सं. CICOM/R/P/21/00048 दिनांक 27.01.2021 के माध्यम से बिंदुवार निम्नलिखित सूचनाएं प्रदान की गई:-

बिंदु सं. a, b एवं c	**आर.टी.आई. से संबंधित सभी प्रावधानों की जानकारी के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 जो कि आयोग की वेबसाईट के लिंक** https://cic.gov.in/sites/default/files/rti-actinhindi.pdf सहित इंटरनेट में आसानी से उपलब्ध है, का अवलोकन करें । इसके अतिरिक्त अन्य कोई जानकारी आयोग में उपलब्ध नहीं है ।
बिंदु सं. d	**श्रीमती मीना बलिमने शर्मा, अपर सचिव एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली 110067 -**

प्रथम अपील का आधार

3. अपीलकर्ता द्वारा आर.टी.आई. आवेदन के बिंदु सं. a, b एवं c के तहत प्रदान की गई सूचना से असंतुष्ट होने के कारण प्रथम अपील दाखिल की गई है । अपीलकर्ता ने प्रथम अपील आवेदन में उल्लेख किया है कि 'स्पष्ट सूचना नहीं उपलब्ध करवायी गई है, बल्कि भ्रमित कर आवेदक का समय नष्ट किया गया है । आवेदक ने सूचना के रूप में सिर्फ अपने प्रश्नों का उत्तर मांगा था न कि वेबसाईट का पता मांगा था' तथा अनुरोध किया है कि 'पूरी, सही व स्पष्ट सूचना उपलब्ध करवाई जाए व जिन सूचना अधिकारी ने इस कानून के तहत स्पष्ट व स्टीक सूचना आवेदक को नहीं उपलब्ध करवायी, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाए' ।

के. सू. आ.
RECEIVED
04 MAR 2021
D. No.......
Initials.......

O|C

निर्णय

4. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन, आर.टी.आई. आवेदन एवं प्रदान की गई सूचना) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के दिनांक 08.01.2021 के आर.टी.आई. आवेदन के बिंदु सं. a, b, c एवं d के संदर्भ में श्री राम कुमार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना, अपीलकर्ता द्वारा मांगी गई सूचना के अनुरूप नहीं है । अत: श्री राम कुमार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की प्राप्ति के दस दिनों के भीतर आर.टी.आई. आवेदन के बिंदु सं. a, b एवं c के तहत मांगी गई सूचनाओं का पुन: अवलोकन कर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत बिंदुवार वांछित सूचना अपीलकर्ता को उपलब्ध करवाई जाए ।

5. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

6. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है ।

निर्णय की तारीख: 03 मार्च, 2021.

मीना शर्मा 03/03/2021

(मीना बलिमने शर्मा)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. श्री राम कुमार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

04/03/21